

**निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय**  
**सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,**  
**मेरठ – 250110**



पत्रांक : सवप/नि0प्र0अनु0/2026/857

दिनांक : 20.03.2026

**सूचना**

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम लागू करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06 जून, 2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 31.12.2024 तक देय शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 2010 के अनुसार अनुमन्य किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। दिनांक 01 जनवरी, 2025 के पश्चात् देय शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 2018 के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।

इस संबंध में सामान्य मद में कार्यरत उन सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जिनका मूल्यांकन यू०जी०सी० रेगुलेशन 2010 अथवा यू०जी०सी० रेगुलेशन 2018 के अनुसार किया जाना है, वह अपना मूल्यांकन प्रपत्र का आवेदन एजीपी 6000/- से 7000/-, 7000/- से 8000/-, 8000/- से 9000/- एवं 9000/- से 10000/- के लिये निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र तैयार कर छः प्रतियों में उचित माध्यम से निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण कार्यालय को निम्न तिथियों के अनुसार प्रेषित करेंगे -

1. जिन शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ 15 अप्रैल, 2026 तक देय है, वह अपना आवेदन 15 अप्रैल, 2026 तक प्रस्तुत करेंगे।
2. जिन शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ 16 अप्रैल, 2026 से देय होगा, वह अपना आवेदन 14 अगस्त, 2026 तक प्रस्तुत करेंगे।
3. जिन शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ 15 अगस्त, 2026 से देय होगा, वह अपना आवेदन 15 दिसम्बर, 2026 तक प्रस्तुत करेंगे।

यू०जी०सी० रेगुलेशन 2010 के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के प्रपत्र विश्वविद्यालय की वैबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं, जबकि यू०जी०सी० रेगुलेशन 2018 के अनुसार प्रपत्र शीघ्र विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।

  
20/3/2026  
निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण

**प्रतिलिपि :**

1. अधिष्ठाता कृषि/जैवप्रौद्योगिकी/पी.जी.एस./पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान/उद्यान/तकनीकी/कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण/गन्ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय इस आशय के साथ कि कृपया अपने अधिनस्थ कार्यालयों में सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण
3. निदेशक प्रसार/निदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र
4. कुलसचिव
5. वित्त नियंत्रक
6. जनसम्पर्क अधिकारी को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।